न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 154 / 2025	2025 / 392	18.09.2025	15.4.2026

शारदा देवी पुत्री निहालसिंह, पत्नी सुरेन्द्र, जाति जाट, निवासी हाल खलीलपुर, तहसील तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा

प्रार्थिया

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा
2. तहसीलदार, मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा
3. सरदारसिंह पुत्र रिछपालसिंह, जाति जाट, निवासी नांगल सालिया, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, प्रार्थना पत्र संख्या 05 / 2024, विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, के स्थानांतरण बाबत।

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 05ध्2024 में प्रार्थिया को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं हैय अप्रार्थी संख्या 3 प्रभावशाली व्यक्ति हैय उसने राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर अवसर रिपोर्ट प्रस्तुत करवाईय तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रकरण में पारित अंतरिमध्प्रारम्भिक आदेशों से प्रार्थिया को पक्षपात की आशंका है। इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थिया द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है कि अप्रार्थी संख्या 3 राजनीतिक प्रभाव रखता है तथा राजस्व अधिकारियों से मिलकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करवा रहा है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल इतना कि किसी पक्ष ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, रिपोर्ट मंगाई गई, या प्रकरण विचाराधीन है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थिया द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रही है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थिया शारदा देवी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा, विधि अनुसार मूल प्रकरण संख्या 05/2024 का निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 15.4.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)